

फर्द अहकाम  
(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

गोपाल लाल पिता रामदेव मीणा नि. बिलेठा

बनाम

सोजी पिता रामकिशन मीणा नि. बिलेठा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 865/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
09.11.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 30, 32, 33, 37, 80, 81, 82 कुल किता 07 रकबा 1.4650 है। स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि आराजी के पडौसीगण खूंखार एवं लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। प्रार्थी गरीब काश्तकार है अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। एवं प्रार्थी द्वारा अपने खेत की मेर आदि की घास फसल आदि काटते समय लडाईं झगडा करने को आमादा होते है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 30, 32, 33, 37, 80, 81, 82 कुल किता 07 रकबा 1.4650 है। की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	